कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 32 / 2024

घनश्याम शर्मा निवासी हवेली कप्तान मथुरा प्रसाद, गली बहादुर सिहं, नियर काका जी मार्केट, भरतपुर 321001 मो.नं. 9414026125

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 19.07.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री घनश्याम शर्मा निवासी हवेली कप्तान मथुरा प्रसाद, गली बहादुर सिहं, नियर काका जी मार्केट, भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी एंव सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 24 / 473 दिनांक 08.07.2024 से लोक सूचना अधिकारी से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं नगर विकास न्यास भरतपुर के पत्रांक 5365 दिनांक 18.07.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई. / 2024 / 368 दिनांक 03.06.2024 को डॉक द्वारा दिनांक 07.06.2024 को उपलब्ध करा दी गई है।

(2)

आरटीआई / अपील / 32 / 2024
घनश्याम शर्मा बनाम सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जबाब दिया जा चुका है। अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर को भी प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर